



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति मन्, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4014-औ०सं०/2019-64/ए०एस०/2002

दिनांक 21 नवम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय :- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० एवं अन्य संगठनों द्वारा उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट की जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व लेकर उ०प्र० सरकार द्वारा गजट नोटीफिकेशन जारी करने एवं अन्य माँगों के सम्बन्ध में दिनांक 27.11.2019 को सायंकाल मशाल जलूस तथा दिनांक 28.11.2019 से अनिश्चित कालीन कार्य-बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० ने पत्र संख्या-29/संघर्ष दिनांक 21.11.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति (जिसमें उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इन्जीनियर संगठन, विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० बिजली कर्मचारी संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन (इण्टक), उ०प्र० बिजली मजदूर संगठन, उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ, यू०पी० बिजली बोर्ड इम्प्लाईज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन उ०प्र०, उ०प्र० ताप विद्युत मजदूर संघ, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद श्रमिक संघ, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, विद्युत कार्यालय सहायक संघ, विद्युत परिषद आशुलेखक संघ एवं विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन सहित कुल 16 यूनियनों सम्मिलित हैं) द्वारा निम्नवत् आन्दोलन का नोटिस दिया गया है:-

1. दिनांक 27.11.2019 को सायंकाल राजधानी लखनऊ सहित सभी परियोजनाओं, जिला मुख्यालयों पर मशाल जलूस निकाले जायेंगे।
2. दिनांक 28.11.2019 को प्रातः 08:00 बजे से उ०प्र० के सभी ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा अनिश्चित कालीन कार्य-बहिष्कार किया जायेगा। कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में उत्पादन, 400 के०वी० पारेषण एवं सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत कार्मिकों को अवमुक्त रखा जायेगा।

आप विदित है कि उ०प्र० शासन ने "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966" के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या-811/24-पी-2-19-1(121)/04 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या-2550-औ०सं०/2019-159-ए/67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ०सं०/17/पाकालि/2001-3-ए०/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० द्वारा दिनांक 28.11.2019 से प्रस्तावित अनिश्चित कालीन कार्य-बहिष्कार कार्य बहिष्कार जाने की नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला-प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० पुरवार)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-4014-(1)-औ०सं०/2019 तददिनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वान्वल/पश्चिमांचल/मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/ लखनऊ आगरा एवं कानपुर विद्युत वितरण निगम लि० (केस्को)।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा-शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।



(ए०के० पुरवार)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

पत्रांक सं० - 29/संघर्ष

दिनांक 21.11.2019

सेवा में,

माननीय ऊर्जा मंत्री,
उप्र सरकार,
लखनऊ।

विषय :- उप्र पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की जीपीएफ व सीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व लेकर उप्र सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करें एवं घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन को सेवा से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र यूपी पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट में हुए अरबों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में निम्नवत् अपना पक्ष व प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है।

2. संघर्ष समिति द्वारा रखे गये बिन्दु व प्रस्ताव निम्नवत् हैं।

(क) पावर कारपोरेशन प्रबन्धन ने लिखित तौर पर स्वीकार किया है कि ट्रस्टों द्वारा उन पर लागू गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया जा रहा है। ट्रस्टों द्वारा ट्रस्ट फण्ड के निवेश की गाइडलाइन्स का भी उल्लंघन किया जा रहा है और ट्रस्ट की निधि के 99 प्रतिशत से अधिक केवल तीन हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनियों में निवेशित है जिसमें से 65 प्रतिशत से अधिक दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लि में है। यह तीनों हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनियां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आती और इसमें किया गया निवेश असुरक्षित है।

(ख) इस नियम विरुद्ध असुरक्षित निवेश को देखते हुए हमारी मांग है कि उप्र सरकार यूपी पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट व अन्य ऊर्जा निगमों की अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा व अन्यत्र निवेशित समस्त धनराशि के भुगतान की जिम्मेदारी उसी प्रकार लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी करें जिस प्रकार उप्र राविप के विघटन के बाद वर्ष 2000 में उप्र सरकार ने कर्मचारियों के समस्त सेवा निवृत्त देयों, पेन्शन, ग्रेच्युटी राशिकरण, अवकाश नगदीकरण आदि की जिम्मेदारी लेकर राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

3. उपरोक्त अवैधानिक कृत्यों के दृष्टिगत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि -

(अ) उप्र सरकार यूपी पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट व अन्य ऊर्जा निगमों की अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की जीपीएफ व सीपीएफ की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व लेकर उप्र सरकार एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर विद्युत कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान सुनिश्चित करे।

(ब) घोटाले के दोषी उप्र पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन पर कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार किया जाये।

(स) उप्र स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उप्र पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की सम्पूर्ण धनराशि के निवेश पर श्वेत पत्र जारी किया जाये। श्वेत पत्र में यह स्पष्ट किया जाये कि बिजली कर्मचारियों की जीपीएफ व सीपीएफ की कितनी-कितनी धनराशि का किस-किस संस्था में कितनी-कितनी अवधि के लिए किस-किस स्कीम में निवेश किया गया है। श्वेत पत्र से कर्मचारियों की पीएफ धनराशि की सही तस्वीर सामने आ सकेगी।

(द) संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ की धनराशि को ठेकेदारों द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। संविदा कर्मियों की ईपीएफ धनराशि के जमा को सुनिश्चित किया जाये और दोषी ठेकेदारों पर कठोर कार्यवाही की जाये।

Read on
whatsapp

PO

Nr 2
21.11.19

spo
21.11.19

So
21.11.19

CC: M...

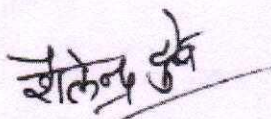
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उग्र निर्णय लेती है कि यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही न की गयी तो—
(क) उग्र के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता 28 नवम्बर को प्रातः 08 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे। कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में उत्पादन, 400 केवी पारेषण एवं सिस्टम आपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों व अभियन्ताओं को अवमुक्त रखा जायेगा जिससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप न हो जाये और आम जनता को तकलीफ न हो।

(ख) इसके पूर्व 27 नवम्बर को सायंकाल राजधानी लखनऊ सहित सभी परियोजनाओं एवं जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाले जायेंगे।

(ग) ध्यानाकर्षण हेतु 21 नवम्बर से प्रतिदिन समस्त परियोजनाओं, जिला मुख्यालयों व लखनऊ में विरोध सभायें आयोजित की जायेंगी।

हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यदि पीएफ घोटाले के विरुद्ध चल रहे उक्त शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में कहीं भी किसी भी बिजली कर्मचारी पर दमनात्मक कार्यवाही की गयी या किसी को भी गिरफ्तार किया गया तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता उसी समय अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल प्रारम्भ करने और सामूहिक जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उग्र सरकार व प्रबन्धन की होगी।

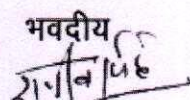
आदर सहित



(शैलेन्द्र दुबे)

संयोजक

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष
समिति



(राजीव सिंह)

महासचिव

उग्र राज्य विद्युत परिषद
अभियन्ता संघ



(जय प्रकाश)

महासचिव

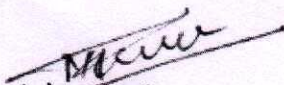
राविप जूनियर इंजीनियर्स
संगठन, उग्र



(गिरीश कुमार पाण्डेय)

महामंत्री

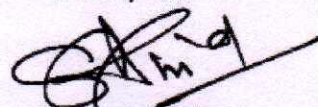
विद्युत मजदूर पंचायत, उग्र



(महेन्द्र राय)

मुख्य महामंत्री

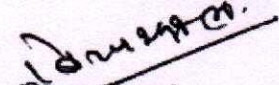
उग्र बिजली कर्मचारी संघ



(सुहेल आबिद)

महामंत्री

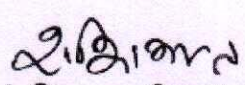
उग्र बिजली मजदूर संगठन



(विनय शुक्ला)

प्रमुख महामंत्री

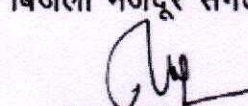
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उग्र



(शशिकान्त श्रीवास्तव)

महामंत्री

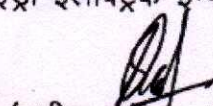
उग्र विद्युत मजदूर संघ



(परशुराम)

महासचिव

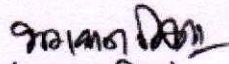
रा.वि.प.प्रा. कर्मचारी संघ, उग्र



(सुनील प्रकाश पाल)

केन्द्रीय अध्यक्ष

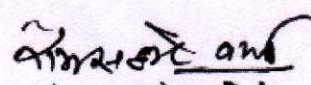
विद्युत कार्यालय सहायक संघ



(भगवान मिश्रा)

अध्यक्ष

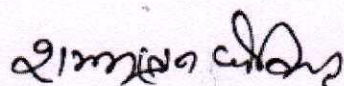
यूपी बिजली बोर्ड इम्प. यू.
उग्र(सीटू)



(राम सहारे वर्मा)

प्रान्तीय महामंत्री

विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ,
उग्र



(शम्भू रतन दीक्षित)

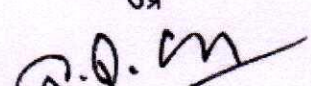
अध्यक्ष

उग्र ताप विद्युत मजदूर संघ

(पी एस बाजपेयी)

अध्यक्ष

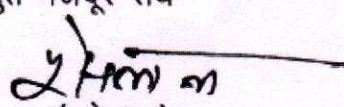
उग्र रा.वि.प. श्रमिक संघ



(जी.पी. सिंह)

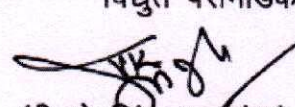
महामंत्री

विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन



(पूशालाल)

अध्यक्ष



(वी. के. सिंह 'कलहंस')

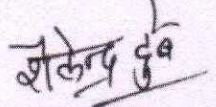
केन्द्रीय अध्यक्ष

प्रतिष्ठा में

1. माननीय श्री योगी आदित्य नाथ जी, मुख्यमंत्री, उप्र।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उप्र शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उप्र पाकालि/उप्र पाट्टाकालि/उप्र राविउनिलि/उप्र जविनिलि, लखनऊ।



(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक